

पूरीशिष्ट च.

[देखिये नियम (9 तथा 10)]

विभागीय परीक्षा

प्रथम पेपर :

। निर्वाचन विधियाँ

- (i) भारत के संविधान में निर्वाचन से सम्बन्धित उपबन्ध ;
 (ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950.
 (iii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
 (iv) राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952
 (v) राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1974
 (vi) राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण और चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968
 (vii) निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960
 (viii) चुनाव संचालन नियम, 1961

।. प्रशासनिक/लेखा नियम :

- (i) हरियाणा सिविल सेवा नियम, जिल्द-I
 (ii) हरियाणा सिविल सेवा नियम, जिल्द-II
 (iii) हरियाणा सिविल सेवा नियम, जिल्द-III
 (iv) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील नियम) 1987
 (v) सरकारी कर्मचारी आचरण नियम 1966

- (vi) पंजाब वित्तीय नियम जिल्द I भाग I तथा भाग II

- (क) अधिकतम अंक 100
 (ख) व्यक्तिगत पास अंक 40 प्रतिशत
 (ग) समस्त 45 प्रतिशत

40 अंक
10 अंक10 अंक
20 अंक
20 अंक
कुल अंक 10050 अंक
20 अंक

30 अंक

पूरीशिष्ट च

[देखिये नियम (9 तथा 10)]

विभागीय परीक्षा

(क) अधिकतम अंक-100

(ख) व्यक्तिगत पास अंक 40 प्रतिशत
 (ग) समस्त 45 प्रतिशत

।. निर्वाचन विधि

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950
 (ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
 (iii) राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952
 (iv) राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1974
 (v) राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण और चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968
 (vi) निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960
 (vii) चुनाव संचालन नियम, 1961

40 अंक

10 अंक

10 अंक

20 अंक

20 अंक

20 अंक

भास्कर चटर्जी,
 आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
 निर्वाचन विभाग ।